आदेश या कार्यवाही की तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.07.25	पत्रावली पेश हुई।	

इस आदेश द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का निस्तारण किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र के जरिये प्रतिवादीगण का निवेदन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल संख्या 8538/2011 निर्णय दिनांक 12.10.2011 को यह अधिनिर्णित किया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में किया गया संशोधन दिनांक 09.09.2005 के बाद से लागू होगा वादग्रस्त भूमि दिनांक 20.12.2004 से पूर्व विभाजित हुई जिसे वादिनी द्वारा भी स्वीकार किया गया है और दिनांक 20.12.2004 से पूर्व में हुई विभाजित सम्पत्ति पर उक्त वाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अधिनिर्णय ganduri koteswaarmma & Anr.Vs Chakiri yanadi & Anr. में Right of Doughters in ancestral property daufghter is entiles to share form 09-09-2005. As amendment Applicability of partition which was affected before 20-12-2004, amendment provision shall not apply. से चलने से बाधित है। प्रतिवादी वकील ने आगे कथन किया कि वादीगण द्वारा इन्हे पक्षकारो के मध्य इसी वादग्रस्त भूमि का विवाद अज अदालत में राजस्व वाद संख्या 148/2000 अनवान सुगनकंवर बनाम प्रभुसिंह पेश किया था, जो दिनांक 25.09.2001 को खारिज किया जाकर निर्णित गया ,वादीगण का वाद Res judicata अर्थात पूर्व न्याय से ग्रसित होनें के कारण वादीगण का वाद पत्र मय हर्जाना खारिज फरमाया जावे।

वादीगण वकील का कथन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय Vineeta Sharma versus Rakesh sharma and other [Civil Appeal no. 32601/2018 date 11.08.2020] And Arunachala Grounder (Dead) by LR's versus Ponnusamy & Others [civil Appeal no.6659/2011 date 20.01.2022] से हिंन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1954 की धारा 6 (5) पुनः संशोधित हो गया है। जिसके अनुसार यदि किसी खातेदार की मृत्यु दिनांक 09.09.2005 से पहले भी हुई है तो भी खातेदार की पुत्रियों को अपनी पैतृक पिता की सम्पति में हक अधिकार उत्पन्न होगे उक्त वाद में भी धारा 6(5) का संशोधन लागू नही [illegible] कथन किया कि वादीगण अपने पिता हरीराम के वि[illegible] वारि[illegible] है, Res judicata के आधार किसी विधिक [illegible] पुत्रिया को [illegible] पिता की सम्पति से महरूम या वंचित नहीं रखा जा सकता है, प्रकरण संख्या 148/2000 पेश करते समय वादी संख्या 2 व 3 नाबालिग थे जिसका संरक्षक सक्षम अदालत द्वारा किसी को नियुक्त नहीं किया गया, इसलिए वादिनी को किसी प्रकार का दावा लाने का अधिकार नहीं था वादिनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.09.05 16:09:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

को वादी संख्या 2 व 3 की ओर से न तो दावा करने के लिए अधिकृत किया गया था न ही वादिनी को संरक्षक प्रमाण पत्र ही प्राप्त किया था, वादिनी को वादी संख्या 2 व 3 की ओर से दावा लाने के तथा उनके हितो के विरूद्ध वाद में उनकी ओर से राजीनामा करने का अधिकार नही था, लेकिन वादिनी द्वारा वादी संख्या 2 व 3 के संरक्षक कुदरती वली बनकर वादग्रस्त सम्पति से उनके हक हिस्से की वादग्रस्त कृषि से बिना नाबालिग की ओर दावा करने का अधिकार सक्षम न्यायालय से प्राप्त कर राजस्व वाद दायर किया तथा दायर करने के उपरान्त वादी संख्या 2 व 3 के हितो के विरूद्ध कार्य कर उक्त वाद जरिये विड्राल खारिज करवा दिया जिसका वादिनी को कोई अधिकार नहीं था। इसलिए उक्त प्रकरण में Res judicata का सिद्वान्त लागू नही होता लिहाजा प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जाना खारिज फरमाया जावे।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहंस सुनी व पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन एवं मनन किया। राजस्व वाद प्रकरण संख्या 148/2000 में वादिनी को वादी संख्या 2 व 3 नाबालिग की संरक्षक के हैसियत से बिना सक्षम न्यायालय से संरक्षक का प्रमाण पत्र के आधार पर पेश करने का है तो विधिनुसार माता नाबालिग की संरक्षक कुदरती वली की ओर से दावा प्रस्तुत कर सकती है। जहां तक प्रश्न वादिनी द्वारा नाबालिगं वादी संख्या 2 व 3 के ओर से राजस्व वाद प्रस्तुत करना व उनकी ओर से राजस्व वाद को जरिये राजीनामा विड्रोल करने का है तो वादी संख्या 2 व 3 उक्त राजीनामा विड्रोल को सक्षम न्यायालय मे चुनौती दे सकते है।

यह न्यायालय को यह तय करना है कि **क्या उक्त वाद Res judicata के तहत बाधित है ?**

Res judicata के सिद्धान्त अनुसार पूर्व न्याय या प्रान्याय Res judicata न्याय का एक सिद्वान्त है जिसके अनुसार यदि किसी विषय पर अन्तिम निर्णय दिया जा चुका है (और जिसमें आगे अपील नहीं किया जा सकता) तो यह मामला फिर से उसी न्यायालय या किसी दूसरे न्यायालय में नही उठाया जा सकता। अर्थात् प्रान्याय के सिद्धान्त का उपयोग करते हुए न्यायालय ऐसे मामलों को पुनः उठाने से रोक देगा''।

अभिलेख का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि

1. पूर्व वाद एव वर्तमान वाद में पक्षकार [illegible] है।
2. विवाद का मुद्[illegible] है।
3. पूर्व वाद एवं वर्तमान वाद में विवादित खसरा वही है।
4. पूर्व वाद में सक्षम न्यायालय ने राजीनामा के आधार पर वाद खारिज किया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.09.05 16:09:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अतः वर्तमान वाद Res judicata के सिद्धान्त बाधित है और आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत विचारणीय नहीं है। लिहाजा प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना	

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.09.05 16:09:41 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व प्रकरण संख्या 44 / 2019

वादीगणः–

1. श्रीमती सुगनकंवर पुत्री हरीराम पत्नी नाथुसिंह
2. सवाईसिंह माता खमादेवी पुत्र नाथुसिंह
3. अर्जुनसिंह माता खमादेवी पुत्र नाथुसिंह

जातियान राजपुरोहित निंवासीयान सिलोर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. प्रभुसिंह पुत्र हरीराम जाति राजपुरोहित
2. भमसिंह पुत्र हरीरीाम जाति राजपुरोहित
3. मोनसिंह पुत्र हरीराम जाति राजपुरोहित
4. लिाल पुत्री हरीराम जाति राजपुरोहित

   निवासीयान सिलोर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
5. तहसीलदार सिवानाएवं उप पंजीयन अधिकारी सिवाना
6. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा समदडी

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : –30.07.25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री किशोरीलाल सोनी अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर डिगरी दी जाती है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वादपत्र पर वाद Res judicata के सिद्वान्त से विचारणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.07.2025 को जारी की गई।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.09.05 16:09:41 IST
Reason: SelfAttested